

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), राम सनेही घाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या-60/2014

शंकर बनाम मयाराम आदि

**16.05.2019**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 3, 4 व 5 हेतु नियत है।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3**

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि-क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो, जबकि वादी की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति को दृष्टिगत रखते हुये वाद का मूल्यांकन मु० 20000/- रूपया कायम किया गया है, वह सही पाया जाता है। तदनुसार यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-4**

वाद बिन्दु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया है कि-क्या वाद में प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो, जबकि वाद बिन्दु संख्या 3 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही कायम किया गया है। तदनुसार वादी द्वारा नियमानुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त पाया जाता है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 4 नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-5**

वाद बिन्दु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया है कि-क्या न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य सिद्ध हो, जबकि वाद बिन्दु संख्या 3 के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कायम किया है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तदनुसार यह वाद बिन्दु उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),

कोर्ट नं० 14, बाराबंकी